संख्याः–227/XXIV-B-5/2021–3(1)2020

प्रेषक,

आर०मीनाक्षी सुन्दरम
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–5 देहरादूनः दिनांकः 25 अप्रैल, 2021

विषयः कोविड–19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम के दृष्टिगत विद्यालय बंद रहने के फलस्वरूप निजी विद्यालयों के फीस भुगतान की प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड–19 के संक्रमण की दूसरी लहर की रोकथाम हेतु विद्यालयों को शासनादेश संख्या 68/यू0एस0डी0एम0ए0/792(2020) दिनांक 20 अप्रैल, 2021 द्वारा पुनः बंद किया गया है। पूर्व में शासनादेश संख्या 28/XXIV-B-5/2020–5(1)2021 दिनांक 15 जनवरी, 2021 द्वारा निजी विद्यालयों के फीस भुगतान की प्रकिया हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं। इस क्रम में निजी विद्यालयों के छात्र–छात्राओं से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि इस अवधि में निजी विद्यालयों द्वारा निम्नानुसार शुल्क प्राप्त किया जा सकेगा :–

1. मात्र ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण कराने वाले निजी विद्यालयों को विद्यालय बंद रहने की अवधि में मात्र शिक्षण शुल्क(Tuition Fees) लेने की अनुमति होगी। अन्य किसी प्रकार का शुल्क अभिभावकों से नहीं लिया जायेगा।

2. ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से शिक्षण का लाभ लेने के बावजूद भी शुल्क देने में असमर्थ अभिभावक कारणों का उल्लेख करते हुये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रबन्ध समिति से शुल्क जमा करने हेतु अतिरिक्त समय का अनुरोध कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में छात्रों को शुल्क जमा करने में हुए विलम्ब के कारण विद्यालय से बाहर नहीं किया जायेगा।

3. कोविड–19 के संक्रमण से रोकथाम हेतु विद्यालयों के बंद रहने के अवधि में सरकारी/अर्द्धसरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से वेतन प्राप्त करने एवं उनकी आजीविका में किसी भी प्रकार का प्रतिकूल

क्रमशः 2/–

प्रभाव न पड़ने के कारण ऑनलाईन/अन्य संचार माध्यमों से कक्षाओं का लाभ लेने के फलस्वरूप नियमित रूप से निर्धारित शिक्षण शुल्क(Tuition Fees) जमा करवाया जायेगा।

उपरोक्त आदेश समस्त निजी डे एवं डे–बोर्डिंग विद्यालयों पर समान रूप से लागू होगा।

भवदीय

(आर0मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

संख्या– 227 (1)/XXIV–B-5/2021–03(1)2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि –निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड सरकार।
2. निजी सचिव, मा0 मंत्री, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
6. मण्डलायुक्त गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल, उत्तराखण्ड।
7. निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा/अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखण्ड को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. क्षेत्रीय अधिकारी, सी0बी0एस0ई/आई0सी0एस0ई0 को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. मण्डलीय अपर निदेशक(माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा) गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
10. प्रदेश स्थित उक्त विभिन्न बोर्डो के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापकों को (मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से) उक्त आदेश के अनुपालन में।
11. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
12. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी/उप शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त आदेश के अनुपालनार्थ।
13. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार पाण्डे)